

सामग्री क्रय एवं जेम (GeM) पोर्टल खरीदी संबंधी प्रकरणों का विस्तृत गोश्वारा

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग — विभागीय जांच एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई रिपोर्ट

1. जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से हुई खरीदी के प्रकरण

1. नगर परिषद न्यूटनचिखली (जिला छिंदवाड़ा)

प्रकरण क्र. 1

अपचारी अधिकारी: श्री नितिन बिजवे (तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी)

प्रकरण विवरण: अपनी पत्नी के नाम से ऑनलाइन संस्था पंजीकृत कराकर जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से सामग्री क्रय कर गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं स्व-हित लाभ अर्जित करना।

निर्णय/दंड: आगामी 03 वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई। निलंबन अवधि को किसी भी प्रयोजन हेतु कर्तव्य अवधि नहीं माना गया।

2. नगर परिषद कोटर (जिला सतना)

प्रकरण क्र. 2

अपचारी अधिकारी: स्व. श्री अंबिका प्रसाद साहू (तत्कालीन प्रभारी सीएमओ) एवं श्री देवरत्न सोनी (तत्कालीन उपयंत्री)

प्रकरण विवरण: जेम पोर्टल पर वाटर टैंकर (3,000 लीटर) तथा ट्रैक्टर-ट्रॉली को बाजार दर की तुलना में अत्यधिक महंगी दरों पर स्वीकृत कर क्रय करना।

निर्णय/दंड: अपचारी सीएमओ का निधन होने के कारण दंड अधिरोपित नहीं किया गया, परंतु निकाय को हुई आर्थिक हानि ₹3,95,215/- की वसूली उनके देय स्वत्वों (सेवानिवृत्ति लाभों) से की गई। उपयंत्री श्री देवरत्न सोनी की 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई एवं ₹1,45,215/- की वसूली का आदेश जारी हुआ।

3. नगर पालिका परिषद सिवनी

प्रकरण क्र. 3

अपचारी अधिकारी: सुश्री पूजा बुनकर (तत्कालीन सीएमओ), श्री विकास मेहरा (उपयंत्री), श्री दीपक उईके (उपयंत्री), सुश्री बिन्देश्वरी पन्डे (उपयंत्री) व अन्य

प्रकरण विवरण: जेम पोर्टल के माध्यम से 9M हाईमास्ट पोल, 12M हाईमास्ट लाइट, 26 वाट एलईडी लाइट तथा शौचालय एवं मूत्रालय अत्यधिक दरों पर क्रय करने में अनियमितता।

निर्णय/दंड: सुश्री पूजा बुनकर (सीएमओ) की आगामी 02 वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई एवं ₹7,16,000/- की आर्थिक क्षति वेतन से वसूल करने के निर्देश। उपयंत्रीगण (विकास मेहरा, दीपक उईके, बिन्देश्वरी पन्डे) प्रत्येक की 01-01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई एवं समानुपातिक क्षति राशि वसूली के निर्देश जारी।

4. नगर पालिका परिषद गुना

प्रकरण क्र. 4

अपचारी अधिकारी: श्री संजय श्रीवास्तव (तत्कालीन प्रभारी सीएमओ) एवं श्री हरीशबाबू शाक्यवार (तत्कालीन प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी)

प्रकरण विवरण: जेम पोर्टल के माध्यम से बिना सक्षम वित्तीय व प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किए 20 कचरा वाहनों के स्थान पर केवल 10 कचरा वाहन क्रय करने संबंधी अनियमितता।

निर्णय/दंड: दोनों अपचारी अधिकारियों की आगामी 01-01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।

2. स्थानीय निविदा एवं कोटेशन आधारित खरीदी के प्रकरण

1. नगर पालिका परिषद धार

लोकायुक्त जां.प्र. 46/ई/22 एवं 30/21

प्रकरण विवरण (क): डामरीकरण सामग्री क्रय में अनियमितता। श्री विजय कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त मुख्य लिपिक) की पेंशन में 10% कटौती (2 वर्ष)। श्री अनुपम तिवारी, श्री पुनीत तिवारी एवं श्री राकेश बैनल की 02-02 वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी गई।

प्रकरण विवरण (ख): डेलीनेटर क्रय में वित्तीय अनियमितता। श्री विजय कुमार शर्मा से ₹1,43,325/- एवं पेंशन कटौती। श्री पुनीत तिवारी से ₹1,43,325/- की वसूली एवं 02 वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई।

2. नगर पालिका परिषद गुना (कीटनाशक पाउडर क्रय)

लोकायुक्त जां.प्र. 433/19

अपचारी अधिकारी: श्री संजय श्रीवास्तव (तत्कालीन प्रभारी सीएमओ) एवं श्री हरीशबाबू शाक्यवार (प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी)

प्रकरण विवरण: विधिवत निविदा प्रक्रिया से बचने हेतु ₹1-1 लाख से कम लागत की पृथक-पृथक नस्तियां बनाकर कोटेशन दरों पर कीटनाशक सामग्री क्रय करना।

निर्णय/दंड: दोनों अधिकारियों की आगामी 01-01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई।

3. नगर परिषद तरीचरकलां (जिला निवाड़ी)

लोकायुक्त जां.प्र. 432/19

अपचारी अधिकारी: श्री श्रवण कुमार द्विवेदी (सेवानिवृत्त प्रभारी सीएमओ)

प्रकरण विवरण: बाजार दर से अत्यधिक महंगी दरों पर अवमानक सामग्री क्रय कर निकाय को ₹26,16,000/- की आर्थिक क्षति पहुँचाना।

निर्णय/दंड: सेवानिवृत्ति स्वत्वों से ₹13,08,000/- की अनुपातिक वसूली तथा पेंशन मंहगाई राहत में 10% कटौती (02 वर्षों के लिए)।

4. नगर परिषद ब्यौहारी (जिला शहडोल)

लोकायुक्त जां.प्र. 481/17

अपचारी अधिकारी: श्री महेन्द्र मिश्रा (तत्कालीन प्रभारी सीएमओ) एवं श्री यशवंत वर्मा (तत्कालीन प्रभारी सीएमओ)

प्रकरण विवरण: नलकूप उत्खनन एवं सामग्री क्रय में नियमों का उल्लंघन कर बाजार दर से अधिक मूल्य पर खरीदी करना।

निर्णय/दंड: श्री महेन्द्र मिश्रा की 02 वेतनवृद्धियां रोकी गई व ₹1,18,000/- की वसूली। श्री यशवंत वर्मा की 02 वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी गई।

5. नगर पालिका परिषद गोहद (जिला भिण्ड)

लोकायुक्त जां.प्र. 209/18

अपचारी अधिकारी: श्री सुरेन्द्र शर्मा (तत्कालीन प्रभारी सीएमओ) एवं श्री राघवेन्द्र शर्मा (स्वच्छता निरीक्षक)

प्रकरण विवरण: वर्ष 2017 में बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए नियम विरुद्ध डस्टबिन क्रय करना।

निर्णय/दंड: दोनों अधिकारियों की 01-01 वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोकी गई तथा दोनों से ₹39,000 - ₹39,000 की वसूली की गई।

6. नगर पालिका परिषद नीमच

लोकायुक्त जां.प्र. 370/20

अपचारी अधिकारी: श्री ओ. पी. परमार (उपयंत्री)

प्रकरण विवरण: निकायों के भवनों व स्थानों पर स्टील, एलईडी एवं पीवीसी बोर्ड लगाने में वित्तीय अनियमितता।